



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 218 राँची, गुरुवार,

13 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

20 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-19/2018-19651 (HRMS)--श्री नारायण राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-422/20, गृह जिला- गिरिडीह), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा के विरुद्ध उपायुक्त, कोडरमा के ज्ञापांक-154, दिनांक-07.02.2018 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध डोमचाँच प्रखंड अंतर्गत तेतरियाडीह पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लाभुकों के चयन में गंभीर अनियमितता बरतने, अनियमितता के आलोक में संदिग्ध मामलों के सत्यापन कराने हेतु निदेश के बावजूद कोई कदम नहीं उठाने, पंचायत सेवक श्री सहदेव यादव द्वारा अनियमितता को संज्ञान में लाने पर उसका स्थानान्तरण कर देने, श्री दीपक कुमार सिन्हा, कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्य से हटाने के निर्देश के बावजूद उनसे कार्य कराने एवं तेतरियाडीह पंचायत के लाभुकों के निबंधन में पंचायत सेवक से नियमानुसार निबंधन कार्य न करवाने संबंधी कुल-5 आरोप प्रतिवेदित किये गये ।

उक्त आरोपों के संदर्भ में श्री राम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2409 दिनांक 12.06.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में श्री राम को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-1052(HRMS) दिनांक 24.07.2018 द्वारा श्री राम को निलम्बित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-1191(HRMS) दिनांक 01.08.2018 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-229 दिनांक 06.11.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत अधिसूचना सं०-446 (HRMS) दिनांक 05.02.2019 द्वारा श्री राम को निलंबन मुक्त किया गया एवं उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-1132, दिनांक 06.02.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई, जिसके आलोक उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-3679(HRMS) दिनांक 12.07.2019 द्वारा सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री राम के पत्र, दिनांक 25.04.2020 द्वारा विभाग में पुनर्विचार आवेदन समर्पित कर अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विचार आवेदन को माननीय मुख्यमंत्री-सह-अपील प्राधिकार को अग्रसारित करते हुए पुनर्विचार आवेदन दायर करने की अवधि को क्षांत करने का अनुरोध किया गया है। उक्त क्रम में विभागीय पत्रांक-3309, दिनांक 14.07.2020 द्वारा उन्हें पुनर्विचार आवेदन सक्षम प्राधिकार के समक्ष दायर करने हेतु निदेशित किया गया।

श्री राम के पत्र, दिनांक 20.09.2021 द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील आवेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2236, दिनांक 22.11.2021 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री राम द्वारा अपील अभ्यावेदन में प्रतिवेदित है कि उनकी सेवा अभी सम्पूष्ट नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में उक्त अधिरोपित दंड के कारण उनकी लगातार तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक दी जाएगी, जिसका प्रभाव उनके पूरे सेवा काल तक रहेगा। सेवा काल में तो यह उनकी भुगतान होने वाली वेतन को प्रभावित करेगी ही, सेवा निवृत्ति के बाद मिलने वाले पेंशन पर भी प्रभाव डालेगी, जिसकी कुल आवृत्ति लाखों में होगी। उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आए तथ्यों के सापेक्ष अधिरोपित दण्ड का परिणाम एवं उसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। इसके अतिरिक्त श्री राम द्वारा अपील आवेदन में आरोपवार समर्पित तथ्य निम्नवत् है-

आरोप सं०-1- वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच के अतिरिक्त अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतगाँवा के प्रभार में थे। डोमचाँच प्रखण्ड मुख्यालय से सतगाँवा प्रखण्ड मुख्यालय की दूरी 45 किलो मीटर है। वर्ष 2016-17 में डोमचाँच प्रखण्ड में प्रधानमंत्री आवास की 949 इकाई एवं वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास की 185 इकाई दोनों मिलाकर कुल 1134 इकाई का लक्ष्य प्राप्त था। सातगाँवा प्रखण्ड में वर्ष 2016-17 के लिए 483 इकाई एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 184 कुल 667 लक्ष्य प्राप्त था ।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। चयनित लाभुकों के बदले किसी अन्य लाभार्थी के खाते में भुगतान की कार्रवाई प्रारंभिक स्तर पर नीचले स्तर के कर्मियों द्वारा किया जाता है। लाभुक के निबंधन के समय FTO order sheet Generate की जाती है, जिसे पहले नाजिर के लॉगइन से Verified कर Forward किया जाता है तथा अंतिम रूप से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के लॉगइन से जारी किया जाता है। नीचले स्तर के कर्मियों द्वारा लाभुकों का गलत खाता संख्या अंकित कर दिये जाने पर स्वभाविक रूप से उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। जैसा कि जाँच पदाधिकारी द्वारा भी मंतव्य दिया गया है। दो-दो प्रखण्डों के आवास लक्ष्य को सही समय पर पूरा करने के क्रम में सहयोगी कर्मियों पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं होता है। एक-एक लाभुकों के संबंध में निगरानी एवं निरीक्षण संभव नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आरोप सं०-1 जो लाभुकों के चयन से संबंधित है, को चयनित लाभुकों के बदले अन्य व्यक्ति के खाते में भुगतान से जोड़ कर आरोप को प्रमाणित बताया गया है, जबकि स्वयं जाँच पदाधिकारी द्वारा यह अंकित किया गया है कि लाभुकों के चयन में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की कोई भूमिका नहीं होती है। इस प्रकार आरोप सं०-1 उन पर स्थापित नहीं है ।

आरोप सं०-2- राज्य स्तरीय जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि वे सभी अनियमितताएँ ,जो संज्ञान में आ चुकी थी, उस पर वे कार्रवाई कर भी रहे थे एवं संबंधित लाभुकों का अगला भुगतान रोक दिया गया था। उक्त योजना के तहत कुछ लाभुकों के द्वारा गलत तरीके से आवास का लाभ ले लिया गया था, जिसके विरुद्ध राशि वापसी हेतु कई बार नोटिस भी दिया गया एवं बाद में जिला नीलाम पदाधिकारी के माध्यम से नीलाम पत्र वाद दायर किया गया। उनके उक्त पद पर रहते कुछ गलत लाभुकों द्वारा अनियमित रूप से प्राप्त की गई राशि को वापस भी किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संदिग्ध मामलों के सत्यापन की कार्रवाई की गई थी एवं तदनुसार अपेक्षित कदम भी उठाए गए थे। इस प्रकार यह आरोप तथ्यों के आलोक में उन पर स्थापित नहीं होता है ।

आरोप सं०-3- पंचायत सेवक सहदेव यादव द्वारा अनियमितता को संज्ञान में लाने पर उसका स्थानांतरण कर दिया गया। जिन पंचायतों में आवास का कार्य की प्रगति धीमी थी, उन पंचायतों से संबंधित पंचायत सेवकों को दूसरे पंचायतों में स्थानांतरित करने का निर्देश प्राप्त था, महज यह संयोग था, जिससे पंचायत सेवक सहदेव यादव का स्थानांतरण तेतरियाडीह पंचायत से की गई थी, क्योंकि तेतरियाडीह पंचायत में आवास की प्रगति धीमी थी।

आरोप सं०-4- दीपक कुमार सिन्हा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दैनिक भत्ता पर रखा गया था उन्हें कार्य से मुक्त कर दिया गया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना में संबंधित वैसे लाभुक जिनके द्वारा गलत जानकारी एवं शपथ पत्र देकर राशि अपने खाते में ली गई, उसकी वसूली के लिए उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है। कार्यभार के कारण तथा एक साथ दो-दो प्रखण्डों के प्रभार में रहने के कारण उनके द्वारा निरीक्षण में कठिनाई हुई। नीचले स्तर के कर्मियों एवं नाजिर पर अविश्वास का कोई कारण नहीं था किन्तु जानकारी में आने के बाद सभी संभावित कार्रवाई की गई थी। साथ ही, श्री राम द्वारा लोहरदगा जिला में पदस्थापन के दौरान कई कार्यों में व्यस्तता के कारण अपील आवेदन करने की अवधि को क्षांत करने अनुरोध किया गया।

श्री राम द्वारा समर्पित अपील आवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित अपील आवेदन में कोई नया तथ्य समर्पित ना कर उन्होंने तथ्यों को दुहराया गया है, जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान जाँच पदाधिकारी के समक्ष एवं द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित किया गया है।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित कुल-5 आरोपों में से आरोप सं०-5 को छोड़कर शेष आरोप सं०-1, 2, 3 एवं 4 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। श्री राम द्वारा अपील आवेदन में उल्लेखित है कि लाभुक के निबंधन के समय FTO order sheet Generate की जाती है, जिसे पहले नाजिर के लॉगइन से Verified कर Forward किया जाता है तथा अंतिम रूप से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के लॉगइन से जारी किया जाता है। नीचले स्तर के कर्मियों द्वारा लाभुकों का गलत खाता संख्या अंकित कर दिये जाने पर स्वभाविक रूप से उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में संबंधित वैसे लाभुक जिनके द्वारा गलत जानकारी एवं शपथ पत्र देकर राशि अपने खाते में ली गई, उसकी वसूली के लिए उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री राम द्वारा सारे आरोप अपने अधीनस्थ कर्मियों पर मढ़ने का प्रयास किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रखण्ड अन्तर्गत संचालित विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेवार है, जो उनके पदनाम से भी स्पष्ट है। उन्हीं के नेतृत्व में प्रखण्ड स्तरीय योजनाएँ कार्यान्वित की जाती हैं।

समर्पित तथ्यों से यह प्रमाणित है कि इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत गलत लाभुकों को राशि का भुगतान हुआ है। उनके कार्यकाल में कुछ गलत लाभुकों से राशि प्राप्त कर ली गयी थी। परन्तु, उनके कार्यकाल में गलत भुगतान हुई पूर्ण राशि सरकार के खाते में वापस प्राप्त नहीं हुई है। स्पष्ट है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने प्रखण्ड अन्तर्गत कार्यों का सही ढंग से कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप अधीनस्थ कर्मों भी गलत इरादा से एवं लापरवाही पूर्वक कार्य निष्पादित कर रहे थे।

अतः समीक्षोपरांत श्री नारायण राम, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उन पर विभागीय संकल्प सं०-3679(HRMS) दिनांक 12.07.2019 द्वारा अधिरोपित दण्ड “सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक” को यथावत् रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री नारायण राम, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NARAYAN RAM JHK/JAS/224	श्री नारायण राम, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक” को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
